



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17017 वर्ष 2022

श्याम मनोहर गुप्ता

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : अरविन्द कुमार वर्मा, महेश शर्मा

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

साथ में

रिट - ए संख्या - 16803 वर्ष 2025

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश शर्मा और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।

2. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय में अभिकथन किया है कि मुख्य रिट याचिका में पहले ही शपथपत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं और उन्हें पूर्ण अनुदेश प्राप्त हैं। वे मामले के गुणदोष के आधार पर बहस करने में सक्षम हैं और वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। अतः, रिट याचिकाओं का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से, इस स्तर पर रिट याचिकाओं का निर्णय किया जा रहा है।

3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 28.02.1985 को सामायिक संग्रह अमीन के रूप में नियोजित किया गया था और उन्होंने उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए दावा किया था। रिट याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण के लिए रिट याचिका संख्या 17935 वर्ष 1996 दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध एक अंतर-न्यायालय अपील संख्या 378 वर्ष 1997 को दायर किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए मामले को प्राधिकारियों को वापस भेज दिया गया ताकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वे नया आदेश पारित कर सकें। रिट याचिकाकर्ता के दावे को 24.05.2004 को फिर से खारिज कर दिया गया था, जो रिट-ए संख्या 50758 वर्ष 2004 में चुनौती का विषय था। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट ने 31.03.2009 को दावे को खारिज कर दिया था, जो रिट-ए संख्या 59570 वर्ष 2009 में चुनौती का विषय था, इसे 06.12.2012 को स्वीकार करते हुए दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था और प्रतिवादियों पर 16,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इसके बाद 25.01.2013 को रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को संग्रह अमीन के रूप में नियमित कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 12.12.1985 को नियुक्त सामयिक संग्रह अमीन रामा नंद यादव और 02.05.1989 को नियुक्त शिव कुमार लाल ने नियमितीकरण के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया, जो रिट याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे। उन्होंने रिट-ए संख्या 23804 वर्ष 2000 दायर की, जिसका निर्णय उनके पक्ष में हुआ और उन्हें लाभ प्रदान किए गए, जिसके विरुद्ध अंतर-न्यायालय अपील संख्या 390 वर्ष 2001 को 24.04.2003 को खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट ने उन दोनों को लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया और इसके अलावा चंद्र भूषण यादव और शिव कुमार लाल को भी उक्त लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने भी रिट याचिका दायर करते हुए इस न्यायालय से अनुरोध किया और रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने रिट-ए संख्या 50340 वर्ष 2015 भी दायर की, जिसका निर्णय 18.01.2018 को हुआ और रिट याचिकाकर्ता को 23.03.2018 के आदेश के अनुसार 17.01.1992 से परिणामी लाभ प्रदान किए गए, जिसके अनुपालन में 23.05.2018 को आदेश पारित किए गए। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 26.09.2018 को उप-मंडल अधिकारी, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया द्वारा 17.01.1992 से लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया गया था, इस बीच राशि का भुगतान 26.07.2018 को किया गया। रिट याचिकाकर्ताओं ने 23,23,661/- रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वसूली की मांग की है, क्योंकि उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था और इसमें कोई धोखाधड़ी, छिपाव या दुर्व्यपदेशन नहीं था। इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रिट याचिका दायर की।

4. वर्तमान रिट याचिका रिट-ए संख्या 15883 वर्ष 2022 और रिट-ए संख्या 15301 वर्ष 2022 से संबद्ध है और उक्त रिट याचिकाओं को 16.05.2025 को स्वीकार कर लिया गया था। यद्यपि मुख्य रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता को 02.12.2022 को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, इस बीच रिट याचिकाकर्ता 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हो गया, फिर भी, जिला मजिस्ट्रेट,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देवरिया ने 07.07.2025 को पेंशन लाभों के दावे को इस आधार पर रोक दिया कि वसूली के विरुद्ध मुख्य रिट याचिका लंबित है जिसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

5. संबंधित रिट याचिका को 12.11.2025 को मुख्य रिट याचिका के साथ जोड़ दिया गया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उक्त राशि की वसूली का आदेश, जिसे मुख्य रिट याचिका में चुनौती दी गई है, किसी भी क्षण के लिए भी मान्य नहीं है, विशेषकर तब जब यह छिपाने, दुर्यपदेशन या धोखाधड़ी का मामला नहीं है। इसके अलावा, उनके अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित नहीं किया गया था। वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), 2015 (4) एससीसी 334 और थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438 के निर्णयों पर भरोसा करना चाहते हैं। वे आगे कहते हैं कि वैसे भी, रिट याचिका के लंबित रहने मात्र से, जिसमें प्रतिवादियों को अतिरिक्त राशि की वसूली करने से रोकने का अंतरिम आदेश दिया गया है, पेंशन लाभ को रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि यदि कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ हो तो नियोक्ता के पास उसे वापस लेने का अधिकार हमेशा खुला रहता है, हालांकि उनके अनुसार अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई सूचना दी गई थी। उनका निवेदन है कि आदेशों की समीक्षा की जाएगी और रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए आदेश पारित किए जाएंगे।

7. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा इस प्रकार की गई दलील सुनी है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि कई रिट याचिकाओं के बाद सकारात्मक आदेश पारित होने पर रिट याचिकाकर्ता की सेवाएं नियमित हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक आदेश पारित किया गया जिसके अंतर्गत वसूली की मांग की जा रही है। यह आदेश मुख्य रिट याचिका के प्रस्तर 23 और 31 में चुनौती का विषय है। इसमें कहा गया है कि वसूली का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और संबंधित रिट याचिका में सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करने का पूरा आधार मुख्य रिट याचिका के लंबित होने से संबंधित है, जिसमें वसूली पर प्रश्न



उठाया गया है। न्यायालय की राय में, प्रतिवादियों के लिए रिट याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करना सर्वोपरि था।

9. तदनुसार, रिट याचिकाओं का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(ए) मुख्य रिट याचिका में उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2022 को और संबंधित रिट याचिका में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 को रद्द किए जाते हैं; (बी) मामले को संबंधित प्राधिकारियों को वापस भेजा जाता है ताकि वे रिट याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद कानून के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करें; (सी) उक्त प्रक्रिया दो माह की अवधि के भीतर संचालित व पूरी की जाएगी। यदि रिट याचिकाकर्ता लाभ के पात्र हैं तो उन्हें उसी अवधि के भीतर लाभ प्रदान किए जाएंगे।

10. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश